

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सैयद माहिर हसन रिजवी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/38/90) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), धौलपुर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), धौलपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री नरेश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), धौलपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), धौलपुर।
10. जिला कलक्टर, धौलपुर।
11. कोषाधिकारी, धौलपुर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, धौलपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, एनरोलमेन्ट नं0 आर/245/93 को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, धौलपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हु0
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, धौलपुर।
10. जिला कलक्टर, धौलपुर।
11. कोषाधिकारी, धौलपुर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री कृष्णकान्त शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/906/01) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, धौलपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, धौलपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री अजय गुप्ता, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, धौलपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।
10. जिला कलक्टर, धौलपुर।
11. कोषाधिकारी, धौलपुर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

9/7
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि